न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः– जीसीएमएस नं. 2021/76

1. श्रीमती बत्तो देवी पत्नी श्री पूरणराम, पुत्रवधु रामजी लाल जाति मीना निवासी ग्राम मीनापुरा, तहसील रामगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास न्यास अलवर जरिये सचिव/अध्यक्ष नगर विकस न्यास अलवर तहसील व जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ, तहसील रामगढ, जिला अलवर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 24.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जिला अलवर के आदेश दिनांक 18.03.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम ग्राम अगियारा, तहसील रामगढ, जिला अलवर स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 406 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 545 रकबा 2.45 हैक्टयर में 1 बीघा यानि की 0.25 हैक्टयर व आराजी खसरा नम्बर 407 रकबा 16 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 546 रकबा 0.05 हैक्टयर में से 2 बीघा यानी 0.50 हैक्टयर इसी प्रकार आराजी साबिक खसरा नम्बर 541 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 735 रकबा 2.18 हैक्टयर में से 1 बीघा यानि 0.25 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा यानि 1.00 हैक्टयर के खातेदार अपीलार्थी अपने बुजुर्गन के फुट पर अरसे दराज से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के लागू होने के पूर्व से लगातार उपयोग–उपभोग कर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है जिसका अंकन गिरदावरी सम्वत 2037 से 2041 व खसरा परिवर्तनशील 2051, 2056, 2064, में अपीलार्थीया के ससुर रामजीलाल को बहैसियत काश्तकार दर्ज किया हुआ है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 से पूर्व से कब्जे काश्त होने के कारण खातेदार काश्त हो गये लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उन्हे खातेदार काश्तकार दर्ज नही किया और उपरोक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वर्ष 2009 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थी को जबरन बेदखल करने की कोशिष की गई जिस पर अपीलार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के यहॉ राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर एवं तहसीलदार रामगढ के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो वाद संख्या

P.T.O.

1/234 उनवनी श्रीमती बत्तो बनाम राजस्थान सरकार को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ अलवर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 07.10.2010 को डिक्री किया जाकर भूमि आराजी साबिक खसरा नम्बर 406 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 545 रकबा 2.45 हैक्टयर में 1 बीघा यानि की 0.25 हैक्टयर व आराजी खसरा नम्बर 407 रकबा 16 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 546 रकबा 0.05 हैक्टयर में से 2 बीघा यानी 0.50 हैक्टयर इसी प्रकार आराजी साबिक खसरा नम्बर 541 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 735 रकबा 2.18 हैक्टयर में से 1 बीघा यानि 0.25 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा यानि 1.00 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलार्थी के नाम इन्द्राज दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित

किया कि विवादित आराजी के कब्जे काश्त के खाने में गलत इन्द्राज सिवायचक की आड में अपीलार्थी को जबरन बेदखल न करें इस प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जाने के का निर्णय डिक्री दिनांक 07.10.2010 पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों की रेस्पोडेनट संख्या 1 व 2 तहसीलदार रामगढ़ को सम्पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.10.2011 एवं 28.10.2014 की अनुपालना में जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रमांक राजस्व/भूरूपान्तरण जारी कर मुख्य सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुरके पत्रांक 5955/5988 दिनांक 02.02.2011 के निर्देशों के अनुरूप अधिसूचना में शामिल इन गॉवों की सिवायचक भूमि को नगर विकास न्यास अलवर को हस्तान्तरित करने के आदेश को आधार बनाते हुए बिना प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बिना पक्षकार कायम किये ही अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 268 दिनांक 31.10.2012 को तस्दीक कर दिया जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 18.03.2021 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 268 दिनांक 31.10.2012 को यथावत रखे जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि–विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आदेश पारित किया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि यह विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होने के आदेश उस व्यक्ति को नोटिस व सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना पारित नही किया जा सकता परन्तु फिर भी अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय ना तो अपीलार्थी को नोटिस दिया गया ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया, ना ही वास्तविक कब्जे की

जॉच की गई ऐसे नामान्तरकरण को चुनौती दिये जाने की कोई समय सीमा कानून में बांधित न होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किये है जो प्राकृतिक न्याय व न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिसमे किसी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण नही हो सकता, प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा नियमित वाद में पक्षकारों साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान कर अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2010 को ही पारित करने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को नजर अन्दाज अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर का निर्णय दिनांक 18.03.2021 एवं तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 268 दिनांक 31.10.2012 अपीलार्थी के हक तक निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.10(23)/न.वि.वि./3/10 दिनांक 13.10.2011 के अनुसरण में जिला कलक्टर अलवर के पत्रांक राजस्व/12/9902–13 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राजस्व ग्रामों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुऐ जनोपयोगी प्रयोजनार्थ राजकीय कार्यालय एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि के आवंटन हेतु भूमि आरक्षित करने के लिए भूमि का चिन्हिकरण कर प्रस्तावित योजनाओं हेतु चिन्हित आरक्षित भूमि को दोड़कर शेष समस्त सिवायचक भूमि (प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर) स्थानीय निकायों मे सम्मिलित राजस्व ग्रामों की भूमि को आज दिनांक 31.10.2012 हो हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.10.2012 को ही अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने के आदेश की पालना में नामान्तरकरण अपीलाधीन तस्दीक किया गया है तथा उक्त दिनांक को वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड होने से नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज हुई है। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे पक्षकारान के हक अधिकार तय नही होते है तथा अपीलान्ट द्वारा जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किये गये है उस आदेश को आदिनांक तक किसी भी समक्ष न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भी अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि राज्य सरकार व जिला कलक्टर के आदेश की

P.T.O.

अनुपालना में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार हुऐ है जिन आदेशों की कोई अपील नही की गई है। ऐसे में उक्त आदेशों के अस्तित्व में रहते नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के प्रकरण संख्या 1/234 उनवान श्रीमती बत्तो देवी धर्मपत्नी पूरणराम बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय दिनांक 07.10.2010 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया गया है तथा सिवायचक का जो इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन किये जाने आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट को दावे में ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है तो उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के कोई ठोस कारण तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष नही थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 पारित किया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 268 वाके ग्राम अगियारा तहसील रामगढ जिला अलवर पर तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 को अपीलार्थी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ, जिला अलवर के दावा संख्या 1/234 उनवान श्रीमती बत्तोदेवी बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 07.10.2010 के अनुसरण में उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।